हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 18 दिसम्बर, 2024

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक/1–97/2024.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 42) जो आज दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

––––––––––

2024 का विधेयक संख्यांक 42.

हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 5 का संशोधन।

2024 का विधेयक संख्यांक 42.

हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम.––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

2. धारा 5 का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 5 के खण्ड (झ) के नीचे परंतुक के अन्त में ''।'' चिन्ह के स्थान पर '':'' चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह और कि राज्य सरकार कारणों को लिखित में अभिलिखित करके ऐसी भूमि, यथास्थिति, संरचना या दोनों का अन्तरण, अधिकतम तीस एकड़ की सीमा के अध्यधीन धार्मिक, आध्यात्मिक या पूर्त प्रयोजन हेतु अनुज्ञात कर सकेगी। इस प्रकार अन्तरित की जाने वाली भूमि, यथास्थिति, संरचना या दोनों का प्रयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाएगा जिसके लिए इसे अनुज्ञात किया गया है ऐसा न होने पर भूमि, यथास्थिति, संरचना या दोनों सभी विल्लंगमों से रहित राज्य सरकार में निहित हो जाएगी।"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राधा स्वामी सत्संग ब्यास सम्पूर्ण देश में अपना क्रियाकलाप चलाने वाला एक धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है। इसने राज्य में नैतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक शिक्षा के कई केन्द्र स्थापित किए हैं। यह जातिवाद, मदात्यय और मादक द्रव्यों के व्यसन आदि के उन्मूलन के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इसने हमीरपुर जिला के भोटा में एक अस्पताल भी स्थापित किया है जो लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ति कर रहा है।

यह संगठन हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 के अधीन यथा विहित अनुज्ञेय सीमा से परे (अधिक) भूमि धारित कर रहा है क्योंकि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 के खंड (झ) के उपबन्ध के अधीन उक्त भूमि को छूट दी गई है।

राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने राज्य सरकार को कई बार अनुरोध किया कि उसे भोटा पूर्त (चेरिटेबल) अस्पताल की भूमि और भवन को चिकित्सा सेवाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को हस्तांतरित करने की अनुमति दी जाए, जोकि इसका एक सहयोगी संगठन कहा गया है। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 के खंड (झ) के नीचे का परंतुक इस खण्ड के अधीन छूट प्राप्त भूमि या संरचना के हस्तांतरण पर रोक लगाता है। जनहित में भोटा पूर्त अस्पताल के भूमि हस्तांतरण तथा इसी प्रकार के अन्य मामलों को सुकर बनाने के आशय से कुछ शर्तों के साथ राज्य सरकार द्वारा अनुमति का उपबन्ध प्रस्तावित किया गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है।

(जगत सिंह नेगी)
प्रभारी मंत्री।

धर्मशालाः
तारीख.....2024

———————

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2024

हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

(जगत सिंह नेगी)
प्रभारी मंत्री।

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

धर्मशालाः
तारीख , 2024

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 42 of 2024

THE HIMACHAL PRADESH CEILING ON LAND HOLDINGS (AMENDMENT) BILL, 2024

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 5.

Bill No. 42 of 2024

THE HIMACHAL PRADESH CEILING ON LAND HOLDINGS (AMENDMENT) BILL, 2024

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (Act No. 19 of 1973).

BE it enacted by the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 2024.

2. Amendment of section 5.—In section 5 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972, in the end of the proviso below clause (i), for sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"Provided further that the State Government for reasons to be recorded in writing may allow transfer of such land, structure or both, as the case may be, for religious, spiritual or

charitable purpose, subject to a maximum limit of thirty acres. The land, structure or both, as the case may be, so transferred shall be used for the same purpose for which it has been allowed failing which the land, structure or both, as the case may be, shall vest in the State Government free from all encumbrances.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Radha Soami Satsang Beas is a religious and spiritual organisation carrying out its activities across the County. It has set up many centres for imparting moral, spiritual, and religious education in the State. It is actively working for eradication of castiesm, alcoholism and drug addiction etc. It has also set up a hospital at Bhota in Hamirpur district which is catering to the health services of the public.

This organisation has been holding land in the State beyond the permissible limit as prescribed under the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972, as the said land is exempted under the provision of clause (i) of section 5 of the Act *ibid.*

The Radha Soami Satsang Beas has been requesting the State Government time and again to allow it to transfer the Land and Building of Bhota Charitable Hospital to the Jagat Singh Medical Relief Society which is said to be its sister organisation, for better management of the medical services. The proviso below clause (i) of section 5 of the Act *ibid.* bars transfer of land or structure exempted under this clause. In order to facilitate the case of land transfer of Bhota Cheritable Hospital in the public interest and other cases of similar nature, the provision of permission by the State Government has been proposed with certain conditions. This has necessitated amendments in the Act *ibid.*

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAGAT SINGH NEGI),
Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA:
THE....., 2024.

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

THE HIMACHAL PRADESH CEILING ON LAND HOLDINGS (AMENDMENT) BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (Act 19 of 1973).

(JAGAT SINGH NEGI)
Minister-in-Charge.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Secretary (Law).

DHARAMSHALA:
THE....., 2024.